In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering Selection and confirmation) 1. Under Secretary (Administration) Department of Economic Affairs —Chairman 2. Section Officer (Administration-I) Department of Economic Affairs —Member 3. Section Officer (Administration-II) Department of Economic Affairs —Member 4. Library and Information Officer Department of Economic Affairs —Member	Not applicable

[No. A-12018/3/2001-Ad. I]

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2003

सा. का. नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती नियम, 1968 को जहां तक उनका संबंध उप-निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, बंगलौर में उप-निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर, उप-निदेशक (सिविल इंजीनियरी) (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी)	4* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	10,000-325-15,200 रु.	चयन	40 वर्ष से अनधिक **टिप्पण-1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2 :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।	**आयु :** नहीं **शैक्षिक अर्हताएं :** हां **टिप्पण :** ऐसे विद्यमान पदधारी जो सहायक निदेशक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

8	9
(2) बंदरगाह परियोजना, परियोजना सर्वेक्षण, उप-मृदा अन्वेषण, योजनाओं की तैयारी और सामुद्रिक संरचनाओं के डिजाइन में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : सर्वेक्षण योजना और जलकृषि परियोजनाओं का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	(सिविल इंजीनियरी) का पद, इस अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, के सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखने से छूट प्राप्त होगी।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** : ऐसा सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) जिसने केन्द्रीय मतस्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** :—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000—13500 रुपए के वेतनमान में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500—10500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है; और

12
(ख) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधी भर्ती किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में) : 1. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. मत्स्य उद्योग विकास आयुक्त —सदस्य 4. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर — सदस्य	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ...16/96-मात्स्यिकी, प्रशासन]

शो... रवाह, निदेशक (मात्स्यिकी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 9th April, 2003

G.S.R. 163.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Deputy Director (Civil Engineering) except as respects things to be done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Civil Engineering) in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture, namely :—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, Deputy Director (Civil Engineering) (Group A posts) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Civil Engineering)	4* (2003) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group A Gazetted, (Non-Ministerial).	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not exceeding 40 years. **Note 1** : Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Essential : (i) Degree in civil engineering of a recognised university or equivalent.	Age : No Educational Qualifications : Yes Note : Existing incumbents holding the	One year for direct recruits.

8	9
(ii) Five years' experience in harbour projects, projects surveys, sub-soil investigations, preparation of plans and design of maritime structures. **Desirable :** One year experience in survey planning and designing of aquaculture projects. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	post of Assistant Director (Civil Engineering) on regular basis on the date of this notification will be exempted from possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
25.00% by promotion failing which by deputation 50.00% by deputation failing which by direct recruitment 25.00% by direct recruitment	**Promotion :** Assistant Director (Civil Engineering) in Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central/State Governments/Union Territories :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.8000—13,500 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with eight years's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay Rs. 6500—10,500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 8.

	12
	The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' DPC (for promotion and confirmation) 1 Joint Secretary (Fisheries) —Chairman 2 Joint Secretary (Administration) —Member 3 Fisheries Development Commissioner —Member 4 Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

[F.No. 4-16/96-Fy. (Admn.)]

SHOBHA MARWAH, Director (Fy.)

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2003

सा. का. नि. 164.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हथकरघा विकास आयुक्त (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उनका संबंध निम्न श्रेणी लिपिक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, निम्न श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,